न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 2/2022

1. विजेन्द्र कुमार पुत्र सुमेरसिंह जाति जाट निवासी ढाका त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. सुमेरसिंह पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ढाका त0 भादरा
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सुमेरसिंह जाति जाट निवासी ढाका त0 भादरा।
3. एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा हिसार जरिये शाखा प्रबंधक।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री महावीर सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाका के खाता सं0 502/442 के खसरा सं0 703 की 5.9820है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुमेरसिंह के नाम 1/4 हिस्सा व रोही ढाका के खाता सं0 121/45 के खसरा सं0 146 की 5.7920है0, खसरा सं0 178 की 8.2080है0, खसरा सं0 40 की 1.3410है0, खसरा सं0 42 की 1.4800है0 कुल 16.8210है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सुमेरसिंह के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 सुमेरसिंह की बजाय वादी विजेन्द्र कुमार व प्रतिवादी सं0 1 सुमेरसिंह व प्रतिवादी सं0 2 सुरेन्द्र कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.1.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 2/2022

1. विजेन्द्र कुमार पुत्र सुमेरसिंह जाति जाट निवासी ढाका त0 भादरा।

:-- वादी

ब ना म

1. सुमेरसिंह पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ढाका त0 भादरा
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सुमेरसिंह जाति जाट निवासी ढाका त0 भादरा।
3. एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा हिसार जरिये शाखा प्रबंधक।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग: वादी

वकील श्री महावीर सिंह: प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 25.1.2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ढाका के खाता सं0 502/442 के खसरा सं0 703 की 5.9820है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुमेरसिंह के नाम 1/4 हिस्सा व रोही ढाका के खाता सं0 121/45 के खसरा सं0 146 की 5.7920है0, खसरा सं0 178 की 8.2080है0, खसरा सं0 -0 की 1.3410है0, खसरा सं0 42 की 1.4800है0 कुल 16.8210है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सुमेरसिंह के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा रामकरण की खातेदारी हुआ करती थी। रामकरण के देहान्त के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 सुमेरसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीकी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 3 व 4 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 विजेन्द्र कुमार पुत्र सुमेरसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ढाका के खाता सं0 121/45 संवत 2076-79 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही भनाई खाता सं0 502/442 प्रदर्श 2, दादालाई

Scanned with CamScanner

जमाबंदी रोही ढाका व भनाई क्रमशः प्रदर्श 3 व 4, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीकी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है।अतः मुताबिक राजीनामाव वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही ढाका व भनाई के राजस्व रिकार्ड मे अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य मे सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ढाका के खाता सं0 121/45 संवत 2076-79 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही भनाई खाता सं0 502/442 प्रदर्श 2, दादालाई जमाबंदी रोही ढाका व भनाई क्रमशः प्रदर्श 3 व 4, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। जिसमे प्रदर्श 5 वारिस प्रमाण के अनुसार सुमेरसिंह के दो पुत्र विजेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 3 व 4 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामाडिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाका के खाता सं0 502/442 के खसरा सं0 703 की 5.9820है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुमेरसिंह के नाम 1/4 हिस्सा व रोही ढाका के खाता सं0 121/45 के खसरा सं0 1-6 की 5.7920है0, खसरा सं0 178 की 8.2080है0, खसरा सं0 40 की 1.3410है0, खसरा सं0 42 की 1.4800है0 कुल 16.8210है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सुमेरसिंह के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 सुमेरसिंह की बजाय वादी विजेन्द्र कुमार व प्रतिवादी सं0 1 सुमेरसिंह व प्रतिवादी सं0 2 सुरेन्द्र कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.1.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner